(42)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः— 2/2020 दायरा दिनांक 18.02.2020

पीठासीन अधिकारी :— श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1. हरिप्रसाद पुत्र भैरूलाल जाति कीर निवासी महताबपुरा तहसील किशनगंज जिला—बारां।
2. सियाराम पुत्र भैरूलाल जाति कीर निवासी महताबपुरा तहसील किशनगंज जिला—बारां।
3. नरोत्तम पुत्र रामधन जाति कीर निवासी महताबपुरा तहसील किशनगंज जिला—बारां।
4. रामरतन पुत्र भैरूलाल जाति कीर निवासी महताबपुरा तहसील किशनगंज जिला—बारां।
5. रामधन पुत्र गोबरीलाल जाति कीर निवासी महताबपुरा तहसील किशनगंज जिला—बारां।
6. घनश्याम पुत्र औंकार जाति कीर निवासी महताबपुरा तहसील किशनगंज जिला—बारां।
7. पांचूलाल पुत्र मोरपाल जाति कीर निवासी महताबपुरा तहसील किशनगंज जिला—बारां।

— प्रार्थीगण

— बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां राज०

— अप्रार्थी

उपस्थित :—
श्री नरेश कुमार नागर :— अभिभाषक, प्रार्थीगण
पैरोकार सरकार :— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू—राजस्व अधिनियम 1970

निर्णय **दिनांक 27.05.2025**

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अंतर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थी को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं अप्रार्थी की तलबी की गई।

संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि :— ग्राम महताबपुरा तहसील किशनगंज जिला—बारां के माल की आराजी खाता संख्या नई 98 पुरानी 96 के खसरा नम्बर 108/1 रकबा 12.19 बीघा, खसरा नम्बर 142 रकबा 10.15 बीघा, खसरा नम्बर 149 रकबा 11.05 बीघा, खसरा नम्बर 207 रकबा 13.01 बीघा, खसरा नम्बर 209 रकबा 9.02 बीघा खसरा नम्बर 210/1 रकबा 2.05 बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 59.07 बीघा स्थित है। उक्त नम्बरान आराजी पर तस्दीक किये गये इन्तकाल संख्या 190 दिनांक 23.06.2008 को प्रार्थना पत्र में आगे विवादित इन्तकाल नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त आराजियात पर किये गये आवंटन एवं खोले गये विवादित इन्तकाल के पूर्व से ही प्रार्थीगण निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं, भूमि मौके पर खाली नहीं थी, इसके बाबजूद प्रार्थीगण के नाम उक्त आराजियात का आवंटन

नहीं किया जाकर गलत एवं अवैधानिक रूप से विधि विरूद्ध तरीके से लखन स्वयं सहायता समूह के नाम बिना कोई आवंटन प्रक्रिया अपनाये 20 वर्ष के लिए आवंटन बताकर विधि विरूद्ध तरीके से नामान्तरकरण संख्या 190 खोल दिया गया। जिसकी सूचना न तो मौके पर कब्जाधारी प्रार्थीगणों को दी गई, न ही कोई सूचना प्रसारित की गई, न ही नोटिस बोर्ड पर कोई सूचना चस्पा की गई, अवैधानिक रूप से आवंटन बताकर इन्तकाल तस्दीक किया गया जो निरस्त होने योग्य है।

वक्त आवंटन एवं विवादित खोला गया इन्तकाल, न तो ग्राम महताबपुरा में लखन स्वयं सहायता समूह के नाम कोई समूह अस्तित्व में था न ही वर्तमान में इस नाम का कोई समूह मौजूद है। पटवारी हल्का एवं कानूनगो द्वारा बिना कोई जांच पडताल किये बिना कोई छान बिन के, बिना समूह की पहचान किये उक्त समूह के नाम अवैधानिक रूप से नामान्तकरण खोल दिया गया जबकि उक्त समूह का कोई रेकार्ड उपलब्ध ही नहीं है, लेकिन अवैध रूप से उक्त आराजियात को बिना अस्तित्व वाले समूह के नाम इन्तकाल दर्ज कर दिया गया जो अवैध एवं शून्य होने से निरस्त होने योग्य है।

उक्त समूह के बारे में जब प्रार्थीगण उपखण्ड कार्यालय किशनगंज में आकर जानकारी प्राप्त की तथा रेकार्ड प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो कार्यालय द्वारा उक्त समूह बाबत कोई रेकार्ड नहीं होना बताकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। इस कारण से उक्त फर्जी व बिना अस्तित्व वाले समूह के नाम से आवंटन बताकर खोला गया विवादित इन्तकाल प्रभाव शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

मौके पर आराजी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त होने, खाली न होने, समूह का कोई अस्तित्व उक्त इन्तकाल एवं वर्तमान में नहीं होने व प्रार्थीगण को बेदखल नहीं किये जाने एवं अन्य किसी के द्वारा कब्जा काश्त नहीं किया जाने के बाबजूद अवैध रूप से इन्तकाल दर्ज किया गया जो निरस्त होने योग्य है। उक्त फर्जी समूह के नाम उक्त आराजी का आवंटन बताकर विवादित इन्तकाल संख्या 190 दर्ज होने की जानकारी प्रार्थीगण को रेस्पोडेण्ट से प्राप्त होने से पटवारी हल्का से विवादित इन्तकाल की नकल प्राप्त कर न्यायालय उपजिला कलक्टर किशनगंज में आवंटन की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 11.11.2019 को नकल प्राप्त होने के बाद अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है।

रेस्पोडेन्ट की और से कोई जबाव प्रस्तुत नही किया गया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की एकपक्षिय बहस सुनी गई।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षिय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण का यह कथन की ग्राम महताबपुरा तहसील किशनगंज जिला–बारां के माल की आराजी खाता संख्या नई 98 पुरानी 96 के खसरा नम्बर 108/1 रकबा 12.19 बीघा, खसरा नम्बर 142 रकबा 10.15 बीघा, खसरा नम्बर 149 रकबा 11.05 बीघा, खसरा नम्बर 207 रकबा 13.01 बीघा, खसरा नम्बर 209 रकबा 9.02 बीघा खसरा नम्बर 210/1 रकबा 2.05 बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 59.07 बीघा स्थित है। उक्त नम्बरान आराजी पर तस्दीक किये गये इन्तकाल संख्या 190 दिनांक 23.06.2008, आराजियात पर किये गये आवंटन एवं खोले गये विवादित इन्तकाल के पूर्व से ही प्रार्थीगण निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं, भूमि मौके पर खाली नहीं थी, वक्त आवंटन एवं विवादित खोला गया इन्तकाल, न तो ग्राम महताबपुरा में लखन स्वयं सहायता समूह के नाम कोई समूह अस्तित्व में था न ही वर्तमान में इस नाम का कोई समूह मौजूद है। प्रार्थी का यह कथन की उसका कब्जा चला आ रहा है। सरपंच ग्रांम पचांयत व्रजनगर पचांयत समिति किशनगंज के प्रमाण पत्र में वर्णित है। जिस पर मैं काश्त कर रहा हूँ। इस प्रकार आवंटन के समय उक्त भूमि खाली नहीं थी, प्रार्थी का सबसे महत्वपूर्ण कथन व विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया कि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा अलोटमेन्ट के पूर्व से था व कब्जा काश्त थे और वर्तमान में प्रार्थी

(44)

कब्जा काश्त है। इस प्रकार विवादित आराजी पर लखन स्वयं सहायता समूह का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है अप्रार्थी ने बाबजूद सूचना इस पर अपना कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया है।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, ग्राम महताबपुरा के माल की आराजी खाता संख्या नई 98 पुरानी 96 के खसरा नम्बर 108/1 रकबा 12.19 बीघा, खसरा नम्बर 142 रकबा 10.15 बीघा, खसरा नम्बर 149 रकबा 11.05 बीघा, खसरा नम्बर 207 रकबा 13.01 बीघा, खसरा नम्बर 209 रकबा 9.02 बीघा खसरा नम्बर 210/1 रकबा 2.05 बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 59.07 बीघा भूमि का आवंटन करने से पूर्व आवंटन कमेटी के समक्ष उक्त भूमि के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होने से व अलोटमेन्ट के पूर्व से ही कब्जा होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता है। अतः पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)